

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 102/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/240

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
परबत सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी बालराई, तहसील रानी जिला पाली		1. शैलेन्द्र कंवर पत्नी मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी बालराई, तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत बालराई तहसील रानी, जिला पाली

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भैराराम परिहार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया।

—: निर्णय :-

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बालराई द्वारा मिसल संख्या 21/2016-17 दिनांक 05.10.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी शैलेन्द्र कंवर पत्नी मोहनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी की पुश्तैनी हक अधिकार की नहीं है फिर भी पुश्तैनी मानकर उक्त पट्टा जारी करवा दिया। उक्त भूमि पहले कपुराराम पुत्र हिराजी की थी, जिनसे भूमि ओटाराम पुत्र मोती, जाति कुम्हार ने खरीद की थी, तत्पश्चात् ओटाराम से मोहन सिंह ने भूमि खरीद की यानि उक्त जमीन मोहनसिंह द्वारा खरीद की गई है और अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुये नियम विरुद्ध पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 का ग्राम बालराई में हिन्दु विधि अनुसार पुश्तैनी अधिकार स्थापित नहीं होते है। वर्तमान में भुखण्ड पुणर्तया खाली पड़ा है तथा शैलेन्द्र कंवर स्वयं ने ग्राम पंचायत से निर्माण ईजाजत की मांग की है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में 30 वर्षों से निवास होना बताया है जबकि वह कभी भी यहां निवासरत नहीं है। समस्त आज्ञा सुची कम्प्युटर से प्रिंटेड है तथा आदेशिका में केवल सवाराम के ही हस्ताक्षर है तथा आपत्ति नोटिस ग्राम में कही पर भी चस्पा नहीं किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी के पट्टासुदा मकान के पश्चिम दिशा में प्रार्थी के सगे भाई जगतसिंह पुत्र रामसिंह की पट्टासुदा भूमि आई हुई है तथा उत्तर दिशा में तेजसिंह पुत्र रामसिंह का पट्टासुदा भूखण्ड आया हुआ है। प्रार्थी के सभी भाईयों के ग्राम पंचायत से अलग अलग पट्टे जारी किये गये है और उक्त तीनों पट्टा मिसलों में अप्रार्थी के रहवासीय मकान के पड़ौस दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी के पति मोहनसिंह के स्वामित्व एवं मालिकाना अधिकार की सम्पत्ति है। प्रार्थी व उसके भाईयों ने अपनी हिस्से की भूमि के पट्टों के आवेदन में अप्रार्थी के पति मोहनसिंह पुत्र दलपतसिंह शक्तावत का मकान होना दर्ज किया है। अप्रार्थी का उक्त पट्टा पंजीबद्ध है, जिसमें अप्रार्थी के भाई की शाख भी है। अप्रार्थी का मकान वर्षों पुराना होने से उसको पुनः बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर उनके द्वारा दिनांक 10.11.2020 को मकान निर्माण की ईजाजत प्रदान की। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष विधिनुसार आवेदन पेश किया, जिसमें प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार कर, तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया और आपत्ति इशितहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बालराई द्वारा मिसल संख्या 21/2016-17 दिनांक 05.10.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी शैलेन्द्र कंवर पत्नी मोहनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी की पुश्तैनी नहीं होकर मोहनसिंह की खरीद सुदा है तथा उक्त भूमि मौके पर खाली भूखण्ड है तथा ग्राम पंचायत ने नियम 157(ख) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि हुई है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी के पति की पुश्तैनी है तथा मौके पर पुराना मकान था, जिसे तुड़वाकर नया बनाने हेतु ग्राम पंचायत से ईजाजत ले रखी है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित किया कि जैर निगरानी आराजी के श्रृखंलाबद्ध बेचाणनामें के पश्चात् मोहनसिंह ने उक्त भूमि को खरीद किया है परन्तु इस आशय का कोई भी विक्रय विलेख अथवा अन्य ठोस अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मोहनसिंह ने वास्तव में उक्त भूमि क्रय किया हो। इसके विपरीत, ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेखों में उक्त भूमि को अप्रार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। मात्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित खरीदशुदा कथन के आधार पर, अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में उक्त भूमि को खरीदशुदा मानने का कोई ठोस आधार नहीं पाया जाता। इन अभिलेखों में भूमि को खरीदशुदा सम्पत्ति दर्शाने वाला कोई उल्लेख नहीं पाया गया है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि को पुश्तैनी सम्पत्ति माना जाना अधिक



अति. जिल्हा कलेक्टर, पाली

प्रमाणित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बालराई के पत्र दिनांक 10.11.2020 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भवन निर्माण की अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है तथा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय पाली के प्रकरण संख्या 11/2021 शैलेन्द्र कंवर बनाम रामसिंह व अन्य में प्राप्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.03.2021 में अंकितानुसार वादग्रस्त भूखण्ड पर पुरानी दीवार निर्मित है, यह प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रमाण दर्शाता है कि जमीन खाली नहीं थी। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रश्नगत आराजी के पश्चिम दिशा में जगतसिंह का मकान एवं पूर्व दिशा में तेजसिंह का मकान अंकित है, जो कि जैर निगरानी पट्टे में अंकित पडौंसियों के विवरण के अनुरूप है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013 में जगतसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 89 के अनुसार उत्तर दिशा में तेजसिंह का मकान और पूर्व दिशा में मोहनसिंह पुत्र दलपतसिंह का मकान अंकित है। उपरोक्त अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जगतसिंह, जो प्रार्थी का भाई है, ने अपने पट्टे में यह स्वीकार किया कि उसके पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 का मकान विद्यमान है। चूंकि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2016 में जारी किया गया था, तो ऐसी स्थिति में दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खाली भूखण्ड नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पंजीबद्ध है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) RRT 967 Manohar Lal vs District Collector, Barmer & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994-धारा 97-विक्रय पत्र का निष्पादन-6 वर्ष तक आवंटन को चुनौती नहीं देने के लिये स्पष्टीकरण नहीं-19.1.1999 को भूमि विक्रय की-निगरानी क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता-सिविल वाद उचित उपचार था-तथ्य के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त, निर्णीत, स्पेशल अपील खारिज की। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टे को खारिज करने का अधिकार केवल मात्र न्यायालय हाजा को ही फिर चाहे वो पट्टा पंजीबद्ध ही क्यों न हो। धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि हेतु दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि जैर निगरानी पट्टा उप पंजीयन अधिकारी रानी द्वारा दिनांक 07.11.2016 को पंजीबद्ध है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टा, जो कि पंजीबद्ध हो रखा है तो क्या न्यायालय हाजा द्वारा उस प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है ? वर्तमान में जैर निगरानी पट्टे को पंजीबद्ध करवाया गया है तथा भूमि दस्तावेज का पंजीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के तहत वैध



अति. जिला कलेक्टर, पाली

दस्तावेजी प्रमाण माना जाता है। वर्तमान में पट्टाधारक के पास भूमि का वास्तविक और निर्बाध कब्जा है। भारतीय कानून में कब्जा एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा Possession is 9/10 the of law की कहावत भी न्यायालयों द्वारा मानी जाती है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत, यदि भूमि के पट्टे का पंजीकरण किया गया है तो वह दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। पंजीकृत दस्तावेज को विधि द्वारा मान्यता प्राप्त सबूत (conclusive evidence) माना जाता है और इसे अदालत में प्राथमिक प्रमाण (primary evidence) के रूप में स्वीकार किया जाता है। पंजीकृत पट्टे को रद्द या खारिज करने के लिए स्पष्ट, ठोस और मजबूत कारण होना आवश्यक हैं केवल यह दावा कि पूर्व में एक पट्टा जारी हो चुका है, पंजीकृत पट्टे को स्वतः खारिज नहीं करता। विभिन्न न्यायालयों का यह मानना है कि पंजीकृत दस्तावेज के विरुद्ध दावा करने वाला पक्ष अपनी दलीलें स्पष्ट और प्रमाणित करे, अन्यथा पंजीकृत पट्टे को स्थिर माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के अनुसार, जो पंजीकृत दस्तावेज है, उसे वैध और सच्चा माना जाता है जब तक इसका उलट प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए। इस तथ्य का अर्थ यह है कि पट्टाधारक को साबित करने की जरूरत नहीं कि पट्टा वैध है, बल्कि इसे चुनौती देने वाले को साबित करना होगा कि पट्टा अवैध या अनुचित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने AIR 1973 SC 943 Union of India vs Ibrahim Uddin में स्पष्ट किया कि पंजीकृत दस्तावेज की वैधता को चुनौती देना कठिन होता है और इसे बिना मजबूत कारणों के खारिज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार AIR 1961 SC 1998 Shyam Sunder vs Ram Kumar में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पंजीकृत पट्टे की सुरक्षा और उसके स्थायित्व को महत्व दिया गया है। पंजीकृत पट्टा एक वैध, प्रभावशाली और कानूनन मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अक्सर ऐसे मामलों में व्यावहारिक और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो पट्टाधारक के हित में होता है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु दिनांक 20.06.2016 को, जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रस्तावित भूमि के पड़ोस तथा नाप अंकित किये हुये हैं, जो कि पंचायत नियम 145(1) के अनुरूप है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 08.07.2016, के द्वारा प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त किया जाकर सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा तथा मौका रिपोर्ट तैयार की गई। ग्राम पंचायत ने आवेदन की प्रारंभिक जांच कर उसे दर्ज किया और बाद में निरीक्षण करवाया तथा कई मामलों में नक्शा, भूमि निरीक्षण के दौरान ही तैयार करवाया जाता है, जो वैध प्रक्रिया है, हस्तगत प्रकरण में यही स्थिति प्रकट होती है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी का कथन कि मनोनीत पंचों के नाम मिसल में अंकित नहीं है, इसलिये पट्टा वैध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 08.07.2016



अति. जिला कलेक्टर, पाली

के अनुसार तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, मौका निरीक्षण पर तीन पंचों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। पंचों के हस्ताक्षर यह प्रमाण है कि भूमि का निरीक्षण और रिपोर्ट वास्तविक रूप से हुई है। आदेशिका में पंचों का नाम अंकित न होना केवल ग्राम पंचायत की तकनीकी त्रुटि है। उक्त आदेशिका अनुसार तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया अर्थात् मौका निरीक्षण निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया। आदेशिका में पंचों के नाम का न होना केवल एक तकनीकी त्रुटि है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि का निरीक्षण वास्तविक रूप से पंचों द्वारा किया गया और दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। केवल आदेशिका में नाम न होना वास्तविक निरीक्षण और कार्रवाई पर असर नहीं डालता और वह पट्टे को रद्द करने का कारण नहीं बन सकती अर्थात् तीन पंचों ने नियम 146(3) में वर्णित "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट की, जो कि प्रकरण में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई जो विधिसम्मत है। भूमि पट्टे के सम्बन्ध में निर्णयों में यह सिद्धान्त लागू होते हैं कि लोकहित और पट्टाधारक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। पट्टाधारक ने ग्राम पंचायत के आदेश पर भरोसा किया और भूमि पर निवेश किया, इस भरोसे को कानून सुरक्षा देता है। इसे 'लेगिटिमेट एक्सपेक्टेडेशन' भरोसे का सिद्धान्त कहा जाता है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे का पंजीकरण एक सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो वैधता की पुष्टि करता है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1967 SC 931 कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भूमि से सम्बन्धित सरकारी आदेशों पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है जब तक आदेश को कानूनन निरस्त न किया गया हो। इसी प्रकार AIR 1967 SC 1715 हरियाणा राज्य बनाम करण सिंह में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कि सरकार द्वारा भूमि के पट्टे जारी करने में तकनीकी त्रुटि होने पर सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के कारण पट्टाधारक के हित की रक्षा की जानी चाहिए।



हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये, जिसमें उन्होंने जैर आराजी पर अप्रार्थी का पुराना पुश्तैनी मकान होना स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में जो आपत्ति इशतिहार जारी किया गया है, उसे सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया और आपत्तियां आमंत्रित की गयी परन्तु निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया। प्रकरण में केवल तकनीकी त्रुटि के आधार पर पट्टे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Rajasthan vs Ram Singh, 1978 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि जब पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है और प्रक्रिया पूरी होती है, तो केवल कुछ तकनीकी त्रुटि जैसे पंचों का नाम अंकित न होना, पट्टे की वैधता प्रभावित नहीं करता। इसी तरह अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 1966 SC 1060 K.C.Jmes vs State of Kerala के अनुसार अगर भूमि सम्बन्धी दस्तावेज सही ढंग से जारी हो गए हैं, और कोई धोखाधड़ी या गडबडी नहीं हुई है तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी तकनीकी दोष के आधार पर दस्तावेज को रद्द नहीं किया जा


अति. जिला कलेक्टर, पाली

सकता। इसी तरह AIR 1979 SC 1532 Raj Kumar Sharma vs Union of India में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भूमि के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्णयों में यदि प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और कोई धोखाधड़ी सिद्ध न हो, तो निर्णय को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटि को सुधार की गुंजाइश मानी गई है, रद्द करने का कारण नहीं। प्रकरण की वस्तुस्थिति पर उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते हैं। साथ ही जैर निगरानी पट्टा जारी करने के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव लिये गये उन सभी प्रस्तावों का अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर में है, जो प्रश्नगत पट्टे को यथावत् रखने का मजबूत आधार प्रदान करता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने के दौरान पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की पालना की है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत बालराई द्वारा मिसल संख्या 21/2016-17 दिनांक 05.10.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी शैलेन्द्र कंवर पत्नी मोहनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर. पाली